तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
10/01/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष की परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली पर रिकार्ड का अवलोकन किया गया। धारा-212 LR Act को adjudicate करने के लिए इसे तीन 03 बिन्दुओ पर जाँचना आवश्यक है, जो निम्न अनुसार है :- (अ) प्रकरण प्रथम द्रष्टया एवं (ब) सुविधा का सन्तुलन :- आर्थी० प्रार्थीगण द्वारा बहस प्रा० पत्र के दौरान कथन किया कि ग्राम पिड़ावा की वाद ग्रस्त आराजी ख०न० 1056 व 1061 किता 2 रकबा 0.4173 hac नाबालिग मंदिर मूर्ति श्री बालाजी महाराज के खाते की है। प्रार्थीगण मंदिर श्री बालाजी महाराज नयापुरा के भक्तगण व श्रृद्धालू है। नाबालिग मंदिर मूर्ति, जो स्वयं अपने हक व अधिकारो का सरक्षंण करने मे सक्षम नही है, की भूमि व संपत्ति की सुरक्षा करना राज्य सरकार, पुजारी, भक्तगण सभी की जिम्मेदारी है। अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा निजी स्वार्थो के लिए नाबालिग मूर्ति की भूमि को निजी भूमि समझ लिया है और stamp paper पर लोगो को चोरी छुपे बैचान कर रहे है। कुछ हिस्से पर विधि विरुद्ध तरीके से दुकानो का निर्माण करा कर लाखो रूपये मे बैचान कर रहे है जिसके बारे अप्रार्थी-3 सरकार को कई बार मौखिक व लिखित रूप मे अवगत कराया गया लेकिन कोई ध्यान नही दिया गया। अतः पेरोकार सरकार- तहसीलदार पिड़ावा व अप्रार्थीगण-पुजारियो द्वारा नाबालिग मूर्ति के [illegible] विरुद्ध कार्य किया तो मजबूरन [illegible] को ही मूर्ति के हितो [illegible] मे आना पड़ा। अतः नाबालिग मंदिर मूर्ति के पूजक व रक्षक से भक्षक बने अप्रार्थीगण पुजारी के विरुद्ध प्रकरण प्रथम द्रष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:19:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

आर्टि० अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने उक्त वहल का पुरजोर विरोध करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 मंदिर श्री बालाजी महाराज पिडावा के पुजारी है और प्रार्थीगण ने स्वयं ऐसा स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी 1 व 2 ही वर्षों से मंदिर मूर्ति की पूजा-अर्चना, मरम्मत व देखभाल करते आ रहे हैं। पहले अप्रार्थी क्रम 1 के पिता मांगीलाल बैरागी पुजारी थे और राजस्व रिकार्ड मे उन्ही नाम पुजारी के रूप मे दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पिडावा की आबादी भूमि के पास होने से कृषि कार्य योग्य नही है और वर्षों से इस पर कोई भी कृषि कार्य नही किया जा रहा है। अप्रार्थी विर का पूरा परिवार इसी मंदिर मूर्ति व इसकी भूमि पर आश्रित है। भूमि का रकबा 2 बीघा से भी कम है। इतनी सी भूमि पर कृषि कार्य करके मंदिर मूर्ति की पुजा-अर्चना, धूप-बत्ती, मंदिर की मरम्मत, रंग-रोगन, बिजली बिल भुगतान, साफ सफाई कार्य के साथ साथ अप्रार्थीगण के परिवार की रोटी रोजी चलाना बहुत ही मुश्किल है अतः अप्रार्थीगण द्वारा कुछ दुकाने बनाई जा रही है ताकि आय के स्त्रोत बढे तो मंदिर मूर्ति का अधिक बेहतर पुजा-अर्चना व देखभाल हो सके। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद व स्थगन आदेश बाबत प्रा० पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है क्योंकि [illegible] सरकार के [illegible] है [illegible] राज्य विभाग के [illegible] है, [illegible] राज्य देवस्थान पुजारी है। प्रार्थीगण [illegible] ना ही मंदिर के मंदिर मूर्ति की भूमि पर कब्जा किया है जिनकी नजर पर है। अप्रार्थीगण ने आज तक ना कोई भूखंड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:19:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

या दुकान का किसी को भी बेचान किया है और ना कोई मंदिर मूर्ति के हितो के विरूद्ध कोई कृत्य किया है अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया व सुविधा संतुलन अप्रार्थी 1&2 के पक्ष मे है, ना कि अजनबी-प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

उभयपक्ष की बहस प्रा० पत्र के परिपेक्ष मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी की हाल जमाबंदी संवत 2074-77 के अनुसार खाता नं० 443 किता 2 रकबा 0.4173 hac मांफी मंदिर श्री बालाजी वाले के खाते दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश जमाबंदी संवत 2017-20 के अनुसार वादग्रस्त आराजी मे माधूदास व मांग्या दास पिता कंवरदास बैरागी पुजारी के रूप मे दर्ज थे। जमाबंदी संवत 2021-24 मे पुजारी के रूप मे दर्ज थे। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2029-32 एवं भू-प्रबंध विभाग की जमाबंदी संवत 2038-41 मे भी माधोदास व मगनदास पिता कंवरदास बैरागी ही पुजारी के रूप मे दर्ज रिकार्ड थे। अप्रार्थीगण द्वारा पेश शपथ पत्र के अनुसार मगनदास उर्फ मांग्यादास उनका पिता था अर्थात पहले अप्रार्थीगण के पिता व चाचा/ताऊ पुजारी थे और उनके फौत होने पर अप्रार्थी 1 पुजारी का कार्य कर रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 के मंदिर बालाजी वाले के पुजारी होने पर कोई आपत्ति प्रा० पत्र u/s 212 RT ऐक्ट बहस दौरान मे नही की है। इसी प्रकार [illegible] द्वारा हस्ताक्षरित व उपखंड अधिकारी [illegible] पत्र दिनांक 08/02/2021 को [illegible] पुजारी होना जाहिर होता है। और यह तथ्य निर्विवादित (un-disputed fact) है कि अप्रार्थी 1 राधेश्याम, मांफी मंदिर श्री बालाजी वाले पिडावा के पुजारी है और मूर्ति की पूजा-अर्चना करते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:19:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा "Bishwanath Vs Thakur Radhavallabhji AIR 1967 SC 144, Tara & ors Vs state of Rajasthan & Anrs. 2015, सहित कई मामलों तथा माननीय राज० उच्च न्यायालय द्वारा Babulal Vs. The Board of Revenue 2009, Mangilal Vs state of Rajasthan 1997(3) RLW 2017, Modh Giri Vs state of Rajasthan S.B. civil writ petition No 4904/2002 (supra), Temple Thakurji Vs state of Rajasthan AIR 1998 Raj. 85 आदि मामलों में यह held किया है कि "The deity of temple as a juristic person is a peretual minor and therefore, any cultivation of the land of Deity will be considered to be cultivation by the Deity and no person will have any Khatedari rights over such land." There is no illegality in deleting the name of pujari/pujaris from Revenue Record because the land belonging to Deity can not be Khatedari land of pujari or the trustee and as such <u>can not be subjected to transfer, alienation or sale</u> by the pujari or Trustee".

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी-पुजारी पर यह आरोप लगाये गये हैं कि उसने मंदिर मूर्ति की भूमि को stamp paper पर sale agreement द्वारा बेचान किया जा रहा है लेकिन इस कथन के [illegible] कोई Documentary and oral evidence [illegible] किया गया है। ऐसा कोई [illegible] sale [illegible] sale agreement, possession transfer [illegible] पेश नहीं किया है। यह सही है (it is true & well-settled legal position) कि पुजारी या ट्रस्टी किसी मंदिर मूर्ति (Deity) की भूमि का किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:19:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

	में जारी हुए

प्रकार का अंतरण (transfer) नहीं कर सकते है। "pujari or Trustee or manager of a Deity is just a caretaker of the properties of the Deity. The duty of a pujari or manager is to protect the interests and rights of the Deity".

धारा - 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह राज्य सरकार, प्रशासन, न्यायलय आदि की duty है कि वे नाबालिग मंदिर मूर्ति की संपत्तियों और हितों का संरक्षण करें। इसी प्रकार राज्य सरकार के राजस्व विभाग, जयपुर एवं देवस्थान विभाग, जयपुर द्वारा विभिन्न परिपत्र (circular) जारी कर प्रत्येक तहसील के तहसीलदार को मंदिर मूर्ति की भूमियों से अतिक्रमण हटाने के लिये धारा - 91 एल आर एक्ट में शक्तियाँ प्रदान की है। राजस्थान में यह राजस्व प्रशासन (देवस्थान विभाग के अलावा) की जिम्मेदारी है कि वे नाबालिग मंदिर मूर्ति के हितों का संरक्षण करें और ऐसे हितों का अतिक्रमण / शमन करने वाले लोगों के चाहे वह पुजारी या ट्रस्टी ही क्यों ना हो - विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावें।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण का यह भी आरोप है कि अप्रार्थी 1 व 2 पुजारी द्वारा मंदिर मूर्ति की वाक्यूरस्त कृषि भूमि खाता सं० 443 पर दुकानों का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है और इनको किराये पर देकर होने वाली [illegible] व स्वार्थों हेतु पुजारी कर रहा है [illegible] अप्रार्थी पुजारी का कथन है कि [illegible] भूमि के कृषि योग्य न [illegible] केवल 3 दुकाने बनाई गई है ताकि इनसे होने वाली आय से मंदिर की पूजा अर्चना व देखभाल की जा सके है। दुकान निर्माण कार्य का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:19:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पुजारी को अधिकार सरकार से प्राप्त है।

इस सम्बंध मे, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधि० 1956 के प्रावधानो के अनुसार कोई भी खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि को राज्य सरकार द्वारा धारा - 257 RT Act के अधीन बनाये नियमो तथा Rajasthan Land Rvenue Act की धारा 261(2) सपठित धारा - 90A के अधीन बनाये गये नियमो - यथा The Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for non-agricultural purposes in rural areas) Rule 2007/12/86 आदि - के तहत ही गैर कृषि कार्यों हेतु उपयोग नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई tenant, धारा 65-78 Rajasthan tenancy Act 1955 के अधीन अनुमत improovements" कार्य भी कर सकता है।

राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज-6/2007/पार्ट-/5 दिनांक 12/09/2018 एवं क्रमांक प.3(19) राज 6/2020 दिनांक 28/12/2020 के अनुसार एक पुजारी मंदिर भूमि विकास व संरक्षण हेतु निम्न कार्य करने हेतु अनुमत / प्राधिकृत होगा :- "मंदिर भूमि के विकास के लिए बिजली, पेयजल, ~~कनेक्शन~~, ट्यूबवैल आदि के कनेक्शन नियमानुसार ले सकते है। भूखण्ड काटने, दुकान निर्माण करने का कोई अधिकार पुजारी को नही है। प्रार्थीगण द्वारा पेश वादग्रस्त भूमि के अप्रमाणित फोटोग्राफ्स दिनांक 18/05/2023, [illegible] की प्रमाणिकता पर आक्षेप अप्रार्थीगण [illegible] कोई [illegible] पेश नही की है, के [illegible] व 2 द्वारा मंदिर मूर्ति की वादग्रस्त भूमि पर बिना भूमि संपरिवर्तन कराये या निर्माण अनुमति लिए कम से कम 05 दुकानो का निर्माण कर शटर - गेट लगा दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:19:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

गये हैं। commercial purpose के लिए मंदिर मूर्ति की भूमि पर (कृषि भूमि) दुकान निर्माण करने का पुजारी या ट्रस्टी को कोई अधिकार नहीं है, भले ही यह मंदिर की आय बढ़ाने के लिए ही क्यों ना किया गया है।

यहाँ प्रश्न यह भी है कि "क्या भक्तगण/श्रद्धालु- प्रार्थीगण को धारा - 212 RT Act बावत् temporary injuction का प्रा० पत्र न्यायालय के समक्ष लाने का अधिकार है या नहीं?" Section 212 RT Act के अनुसार- काश्तकारी अधिनियम के अधीन किसी suit या कार्यवाही के चलने के दौरान, किसी पक्षकार द्वारा suit-property को नष्ट करने, damage करने या विकृत करने का खतरा उत्पन्न किया जाता है या न्याय को विफल बनाने के लिए इस suit-property को remove or dispose करने की धमकी दी जाती है तो राजस्व न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति/(यों) के विरुद्ध Temporary injunction जारी किया जा सकता है और आवश्यक हो तो रिसीवर भी नियुक्त किया जा सकता है। इस मंदिर मूर्ति की वादग्रस्त भूमि खाता नं० 443 को लेकर एक suit No- 83/2020 u/s 91, 92ए, 188, 209 RT Act माफी मंदिर बालाजी बजरिये (—) बनाम राधेश्याम व अन्य इसी न्यायालय में लंबित है। इस suit के साथ/बाद यह प्रा०पत्र सं० 84/2020 पेश किया गया। दर्ज suit का कोई भी पक्षकार (any party ...) ... Khatedar tenant(s) है या नहीं — अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु धारा - 212 RT Act का प्रा० पत्र पेश कर सकता है। यह well settled law position है कि खातेदार- perpetual minor idol जो स्वयं ना तो खेती कर सकती है और ना ही अपने हितों का संरक्षण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:19:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कर सकता है - के rights and interest को protect करने की जिम्मेदारी पुजारी / ट्रस्टी / प्रबंधक के साथ साथ प्रशासन, सरकार, कोर्ट यहां तक कि उसके भक्तगणों / श्रृद्धालुओं की भी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राज० उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों यथा - Bishwanath Vs Thakur Radhavallabhji AIR 1967, Para s Ans Vs. State of Rajasthan s Ans 2015, Mangilal Vs. State of Rajasthan 1992, modh Giri Vs. State of Rajasthan 2002, Temple Thakurji Vs. State of Rajasthan 1998, Babulal Vs. The Board of Revenue 2009 आदि एवं धारा - 46 RT Act के प्रावधानों - के निर्णयों का मूल उद्देश्य / सार भी यही है। यदि नाबालिग मंदिर मूर्ति का pujari / Trustee उसके हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन / तहसीलदार, देवस्थान विभाग के कार्मिक ध्यान नहीं दे रहे हो उस Deity (idol) के हितों के संरक्षण हेतु स्वच्छ हाथों (bona fide intention / clean hands) से भक्तगण / श्रृद्धालु भी धारा - 212 RT Act का प्रा० पत्र कोर्ट में दायर कर सकते हैं। धारा - 212 RT Act में ऐसा कोई प्रतिबंध (Restriction) नहीं है।

अप्रा० अप्रार्थीगण का यह कथन कि प्रार्थीगण भक्तगण बनकर स्वयं मंदिर मूर्ति की उक्त भूमि को हड़पना चाहते हैं - साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:19:56 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन ... विश्लेषण के आधार पर प्रकरण ... हेरफेर ... सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के ... होता है।

(स) अपूरणीय क्षति :- अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा मंदिर मूर्ति की वादग्रस्त भूमि पर खेती नहीं करना और भूमि का पड़त पड़ा होना निर्विवादित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

दोनों पक्ष इस तथ्य पर सहमत है। पुजारी -अप्रार्थीगण की जिम्मेदारी थी कि वे Deity की उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर आय generate कर मंदिर का विकास करते हैं। यदि कृषि हेतु कम उपजाऊ है तो ऐसे नियमानुसार "improvement works" कर उपजाऊ बनाते। कृषि कार्य नहीं करके बिना विधिक अधिकार व अनुमति के commercial purpose से 05 या अधिक दुकानें बनाने से Deity के हितों का संरक्षण होना साबित नहीं है। अप्रार्थीगण ने ना ही ऐसा कोई साक्ष्य (evidence) पेश किया है जिससे उक्त कार्यों से Deity के हितों का संरक्षण साबित होता हो। अप्रार्थी 1&2 द्वारा अप्रमाणित पत्र दिनांक 08/2/2021 जिस पर अनेकों लोगों के signature अंकित है- के मद क्रम 4 में अंकित है कि "इन निर्माण कार्यों से मंदिर व पुजारी की आमदनी बढ़ेगी। आमदनी से मंदिर परिसर की अच्छी साफ सफाई होगी और पुजारी की आर्थिक [illegible] सुधरेगी". अतः इससे इन दुकानों के निर्माण से होने वाली आय का मंदिर विकास के साथ पुजारी द्वारा व्यक्तिगत कार्यों (private use) में भी किया जाना जाहिर/प्रतीत होता है। पुजारी/संरक्षक द्वारा ऐसा कार्य करने से प्रार्थीगण को तो प्रत्यक्षतः कोई क्षति/नुकसान कारित नहीं होगा लेकिन नाबालिग मंदिर मूर्ति के हितों को नुकसान कारित हो सकेगा।

उपरोक्त विवेचन [illegible] के आधार पर प्रार्थीगण [illegible] Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को इस आशय की भलाई निषेधाज्ञा से तहसील मूलवाड़ पाबंद किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:19:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक... हुक्म... में...
	जाता है कि वे ग्राम पिडावा की वादग्रस्त कृषि आराजी खाता सं० 443 ख० नं० 1061 व 1056 किता 2 रकबा 0.4173 hec का कहीं भी बैयान ईकरार, नहीं करे और बिना सक्षम अनुमति के वाणिज्यिक / औद्योगिक / आवासीय कॉलोनी आदि प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य नहीं करे। अप्रार्थीगण को भी पाबंद किया जाता है कि वे भी कब्जा नहीं करे। अप्रार्थी क्र० 3 तहसीलदार पिडावा को पाबंद किया जाता है कि वह राजस्व विभाग, जयपुर के जारी परिपत्रों / नोटिफिकेशनों के अनुसार perpetual minor (Deity) की उक्त वादग्रस्त आराजी पर कोई अतिक्रमण या अवैध निर्माण नहीं होने देवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	
	उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:19:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner